न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 18 / 2022

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 लाखाराम पुत्र बगाराम 2 पांचीदेवी पत्नी बगाराम जातियान मेघवाल निवासीगण तरनाउ तहसील जायल जिला नागौर।		1 भाऊराम पुत्र गणेशराम 2 सादूलराम पुत्र पूर्णाराम 3 दयालराम पुत्र भैरूराम 4 धर्माराम पुत्र भैरूराम जातियान मेघवाल निवासीगण तरनाऊ तहसील जायल जिला नागौर। 5 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छोटीखाटू जरिये शाखा प्रबंधक 6 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा तरनाऊ जरिये शाखा प्रबंधक 7 तहसीलदार जायल जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री पवन श्रीमाली अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 व 06 की ओर से।
3. श्री भगवानराम सारस्वत अधिवक्त रेस्पो. संख्या 02 की ओर से।
4. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 07 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 28.03.2023

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार (भू अभिलेख) जायल के आदेश दिनांक 08.11.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.05.22 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स की अपील दिनांक 16.06.2022 मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 01 व 06 की ओर से श्री पवन श्रीमाली अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 02 की ओर से श्री भगवानराम सारस्वत अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 07 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पो. संख्या 03 से 05 बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में बंटवारा आदेश 08.11.2021 की फोटोप्रति, ग्राम तरनाउ के नामान्तरकरण संख्या 3067 दिनांक 27.11.21 की फोटोप्रति, जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम तरनाउ के संबंत 2076, खसरा गिरदावरी खरीब सम्वत् 2077 की फोटोप्रति पेश की।

{2}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने मियाद के बिन्दु पर बहस शुरू करते हुए तर्क दिया कि हाल ही में अपीलांटान ने अपने कब्जासुद बंटसुदा खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 620 का अपीलांटान व रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भौतिक विभाजन करवाने हेतु खतौनी की नकल ली जिसमें खातेदारी अपीलांटान के नाम नहीं होकर रेस्पोडंट संख्या 1 भाउराम के नाम दर्ज होने से अपीलांटान ने जाकर भाउराम से निवेदन किया कि उक्त खेत में आपका कोई बंट कब्जा हक नहीं है फिर भी खसरा नम्बर 620 आपकी खातेदारी में कैसे दर्ज हो रखा है तब भाउराम ने कहा कि मैने गत वर्ष प्रशासन गांवों के संग अभियान में अंगुठे हस्ताक्षर करवाये उसमें खसरा नम्बर 620 को पटवारी से मिलकर मेरे बंट में भता दिया था, इसलिए उस बंटवाडे के तहत यह खेत मेरे नाम दर्ज हो गया, आप दयालराम व धर्माराम खसरा नम्बर 634 में से बंट ले लेना उसमें मैं बंट नहीं लुंगा तब अपीलांटान ने कहा कि जब मौखिक बंट अनुसार मौके पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है व खसरा नम्बर 620 आपके बंट का नहीं है न मौके पर आपका कब्जा काश्त है फिर भी आपने मेरे साथ छल कपट धोखाधडी व विश्वासघात क्यों किया है तब रेस्पो. स. 1 ने कहा कि अब तो यह जमीन मेरे नाम हो गयी है व मैने बैंक से इस भूमि पर ऋण भी ले लिया है आप जो चाहे वो कर लो, बंटवाडा फार्म पर आपके हस्ताक्षर करवाये हुए है अब आप कुछ नहीं कर सकते हो तब अपीलांट ने कथित बंटवाडा फार्म आदि की नकलों का आवेदन किया तो दिनांक 06.05.22 को प्रमाणित प्रतियां मिलने पर सर्वप्रथम उक्त त्रुटिपूर्वक व धोखाधडी से करवाये बंटवाडे की जानकारी हुई, जानकारी के दिन से अपीलांट्स की अपील अन्दर मियाद पेश है जिससे अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। अपीलांट्स ने मियाद प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(I)–आदेश जैर अपील कतई गलत, छल कपट धोखाधडी से व मौके की स्थिति के विपरीत पारित करवाया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–रेस्पोडेंट संख्या 1 अत्यंत चालाक व चतुर व्यक्ति है जिसने अपीलांटान को बिना बंटवाडा फार्म पढाये, बिना वास्तविक जानकारी दिये, मौखिक रूप से हुए बंटवाडे अनुसार बंटवाडा फार्म पटवारी से तैरूार नहीं करवा कर मनचाही भूमि स्वयं प्राप्त करने की नियत से विश्वासघात करते हुए कथित बंटवाडा करवाया है जबकि मौके पर उक्तानुसार न तो बंट हुआ न ही कब्जा काश्त रहा है इसके बावजूद कथित मिथ्या बंटवाडा व मौके की स्थिति से विपरीत करवाये गये बंटवाडा आदेश की आड में अब रेस्पोडेंटान ने फर्जी तरीके से अपीलांटान के कब्जासुद खातेदारी भूमि के भाग पर अवैध रूप से व मिथ्या घोषणा कर ऋण प्राप्त कर लिया व अपीलांटान को मौके से बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है तथा हस्तान्तरण करने पर आमादा है इस कारण आदेश जैर अपील हस्तक्षेप योग्य है।

{2}(III)–रेस्पो. स. 1 को पूर्व मे हुए मौखिक विभाजन की भलीभांति जानकारी थी तथा मौखिक विभाजन व बंट अनुसार ही सभी पक्षकारान खातेदारान अपने अपने बंट की भूमि पर काबिज रहकर काश्त करने की भलीभांत जानकारी थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को यह भी ज्ञात था कि खसरा न्मबर 620 अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 के बंट कब्जे काश्त का है व उसके बदले में रेस्पोडनेंट संख्या 1 का बंट खसरा नम्बर 566 के अलावा खसरा न्मबर 634 में 9 बीघा दिया हुआ है इसके बावजूद भी मौखिक बंट व कब्जा की स्थिति को छुपाते हुए प्रशासन गांवों के संग अभियान में पटवारी हल्का से मिलीभगती करके बाले बाले फर्जी तरीके से बंटवाडा आदेश पारित करवाया होने से निरस्त/संशोधित अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अपीलाधीन आदेश से संबंधित विधि विरूद्व व मौके की स्थिति, बंट के विपरीत रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा करवाये गये विभाजन का औलबा देने अपीलांट रेस्पो. संख्या 1 के पास गया तो रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उक्त विभाजन अपीलांटान को बिना बताये बाले बाले हस्ताक्षर करवा कर म्यूटैशन भी करवा लेने की बात कही व बाले बाले ही खसरा नम्बर 620 पर बैंक से ऋण प्राप्त कर लेने बाबत भी बताया व साथ में यह भी बताया कि मैने तो उसी दिन पटवारी से तुरन्त म्यूटैशन करवा कर रेकर्ड में अमल दरामद करवा कर उसी दिन आपका एक और बंटवाडा फार्म तैयार करवा कर उसी दिन आपके हस्ताक्षर करवा लिये थे। लेकिन अपीलांट को ऐसे आवेदन की अभी तक प्रमाणित प्रति नहीं मिली है लेकिन उसकी फोटो प्रति प्राप्त हुई है उसके क्रमांक 25/दिनांक 08.11.2021 दर्ज है जबकि बकाल रेस्पोडेंट यह आवेदन पूर्व बंटवाडा आवेदन के बाद का है जबकि उसी दिन पूर्व बंटवाडा आदेश जिसके विरूद्व यह अपील पेश की उसके क्रमांक 33/दिनांक 08.11.2021 दर्ज है, जिसका उल्लेख भी नामान्तरकरण में दर्ज है जिससे भी यह साफ जाहिर है कि अपीलांटान को अपनी बंटसुदा कब्जासुद खातेदारी की भूमि से महरूम करने की नियत से मौके की स्थिति के विपरीत बंटवाडा बताकर आदेश जैर अपील पारित करवाया है स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही छल कपट धोखाधडी व मिलीभगती से की गयी है, यहां यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि कथित बंटवाडा आदेश के अनुसरण मे नामान्तरकरण दिनांक 27.11.2021 को हेने का इन्द्राज है तो उससे पूर्व ही दिनांक 08.11.2021 को दूसरा बंटवाडा आवेदन बिना रेकर्ड में खातेदारी का इन्द्राज हुए तहसीलदार को लेने व अपने हस्ताक्षर करने आदि का कोई विधिक अधिकार भी नहीं था, सारी कार्यवाही पूर्णतया सन्देहस्पद है जिससे किसी को भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन रेस्पो. सं. 1 ने अपीलांटान से तथ्य छुपा कर पटवारी हल्का से मिलीभगत कर किसी प्रकार का बंटवाडा की मौके की जांच करवाये बिना ही बाले बाले आनन फानन में उसी दिन दिनांक 08.11.2021 को आवेदन का हस्ताक्षर करवा कर उसी दिन जांच करना लिखा जाकर आर.आई. से उसी दिन रिपोर्ट प्राप्त कर उसी दिन तहसीलदार से बंटवाडा की स्वीकृति प्राप्त कर नामान्तरकरण प्रस्तावित कर दिनांक 27.11.2021 को स्वीकृति करवा दिया। जबकि ऐसी सारी कार्यवाही इतनी जल्दवाजी में इतने कम समय मे होना संभव भी नहीं है विधिक प्रावधान के अनुसार मौके पर आकर मौका जांच की जाकर उसके बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है यदि पटवरी व आर.आई. मौके पर आकर जांच करते तो मौके पर वास्तविक बंट व कब्जा काश्त की जानकारी हो जाती व ऐसा नामान्तरकरण कतई नहीं होता मगर पटवारी, आर.आई वगैरा ने केम्प में बैठे बैठे ही केवल शिविर का अपना टारगेट पुरा करने हेतु विधि विरूद्व कार्यवाही की है जिससे अपीलांटान के विधिक हक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है ऐसा आदेश कतई विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी, नागौर

{2}(V)–धारा 53 राज.टि. एक्ट के तहत केवल सहमति के आधार पर तहसीलदार को बंटवाडा करने का अधिकार है जबकि अपीलांटान ऐसे बंटवाडा में कभी सहमत नहीं हुए न ही तहसीलदार ने अपीलांटान को ऐसे बंटवाडे के बारे मे बताया था न कोई पूछताछ की है न ही पडौसीयों से कब्जा बाबत कोई पूछताछ ही की गयी है एसी स्थिति में अपीलाधीन बंटवाडा आदेश विधि सम्मत नहीं है।

{3}–रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 06 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि दोनो पक्षों ने आपसी सहमति के जरिये बंटवाडा किया है। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज की जाने योग्य है।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। तहसीलदार (भू अभिलेख) जायल के आदेश दिनांक 08.11.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.05.2022 को प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रकरण में दस्तावेजो के अवलोकन से प्रतीत होता है कि बंटवाडा आपसी सहमति से ही किया गया है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील विधि अनुसार ही पारित किया जाना प्रतीत होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हाने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर